



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक: F37(2)/ नि.आ./ बीपीसी(एलपी)/ का.वि./ 2018 / 3858

दिनांक: 23.02.2018

:-कार्यवाही विवरण:- (जोन-पूर्व)

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 02/2018 वीं बैठक दिनांक 15.02.2018 को अपरान्ह 04.30 बजे जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	01	राजस्व ग्राम बासनी बैन्दा के खसरा संख्या 35/3 के रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा में से 12 बीघा 03 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत । आवेदक :- श्री हरिश पुत्र श्री रामचन्द्र (जोन पूर्व)	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग जोन की चैक लिस्ट अनुसार इसी खसरे में से पूर्व में 3 बीघा भूमि जेडीए के नाम दर्ज है, जिसके अनुमोदित ले आउट प्लान में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 35/3 कुल रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा भूमि में से 03 बीघा भूमि पूर्व में जेडीए के नाम दर्ज हो चुकी है। वर्तमान में 12-03 बीघा शेष रहनी चाहिए किन्तु तहसीलदार कि रिपोर्ट के अनुसार मौका व प्लान अनुसार 12-10 बीघा भूमि प्राप्त हो रही है, अतः 7 बिस्वा भूमि अधिक प्राप्त हो रही है। आवेदक द्वारा निवेदन किया गया कि जो 7 बिस्वा भूमि अधिक प्राप्त हो रही है, उस अतिरिक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अतः उपरोक्तानुसार अतिरिक्त भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाने की सुनिश्चिता की जावें। 3. प्रकरण में बिन्दु संख्या 2 अनुसार अतिरिक्त भूमि को सम्मिलित करने के उपरान्त आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.02 हैक्टेयर हो जाने से नियमानुसार 60 फीट पहुंच मार्ग आवश्यक है। तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 व समय समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक की योजना में नियमानुसार ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। 4. टाउनशीप पॉलिसी के प्रावधान अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक की योजना में 10 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र एवम् 5 प्रतिशत पार्क का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। 5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. मानचित्र में दशाये गये सुविधा क्षेत्र/पार्क एव आवासीय भूखण्डों के मध्य 10 फीट का पाथवे छोड़ा जावें। 7. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की रचय की होगी। अतः प्रकरण में बाद विचार विमर्श कर प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर प्रार्थी के स्वामित्व तक भूमि का ले-आउट प्लान राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
2.	02	राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 8/6/1, 8/8/1 के रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।	समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. आवेदित भूमि खारडा रणधीर जाने वाले राजस्व रास्ते पर स्थित है, मास्टर प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 120 फीट की श्रेणी में आरक्षित है।


		<p>आवेदक :- श्रीमती सुशीला (जोन पूर्व)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. पत्रावली मे संलग्न ले-आउट प्लान अनुसार आवासीय 57.16 प्रतिशत, व्यवसायिक 02.83 प्रतिशत, पार्क 02.78 प्रतिशत व सडक 37.23 प्रतिशत प्रस्तावित है, जिसमे बीपीसी (एलपी) की बैठक दिनांक 10.04.2017* मे लिये गये निर्णय अनुसार 5 प्रतिशत पार्क/सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। 3. आवेदित भूमि के सुपरईम्पोज मानचित्र में मौके पर विद्यमान सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी हेतु पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से मानचित्र पर दूरी अंकित किया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि खारडा रणधीर जाने वाले राजस्व रास्ते पर स्थित है, मास्टर प्लान अनुसार उक्त सडक का मार्गाधिकार 120 फीट रखे जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 व समय समय जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 2 हैक्टर से कम क्षेत्रफल का नियमानुसार शुल्क लिया जावे व अन्य प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की जावे। 3. सिविल रिट पीटिशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2017 को जारी आदेश के पृष्ठ संख्या 250 पर उल्लेखित बिन्दु संख्या (XVII) के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार छोटी योजनाओं हेतु आधारिक सरचना सुविधाएँ (इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज) के दृष्टिगत सुविधा क्षेत्र व पार्क एवं खुला क्षेत्र हेतु योजना मानचित्र में 5 प्रतिशत सुविधा/पार्क रखा जावे। 4. प्रकरण मे निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया कि ले-आउट प्लान मे नियोजन की दृष्टि से आशिक संशोधन की आवश्यकता है। अतः आवश्यक संशोधन उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. मानचित्र में दशाये गये सुविधा क्षेत्र/पार्क एव आवासीय भूखण्डों के मध्य 10 फीट का पाथवे छोडा जावे। 6. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 9. ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
3.	03	<p>राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 181/7 के 18 बिस्वा 16 बिस्वांशी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- मैसर्स एसेन्स बिल्डटेक प्रा.लि जरिये अश्विनी सांवल (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन की चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान, 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ है, आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र मे आवासीय गतिविधिया अनुज्ञेय है। 3. प्रकरण में आवेदित भूमि खसरा संख्या 181/7 हेतु आवेदक व अन्य पत्रावली खसरा संख्या 181/8 दोनो के आवेदक एक ही फर्म है साथ ही पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी अनुसार मूल खसरा संख्या 181 के छोटे-छोटे टुकडे किये गये है, जो कि नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं

			<p>है।</p> <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि तक 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी। 2. प्रकरण में विन्दु संख्या-3 के कम में खसरा संख्या 181/7 व खसरा संख्या 181/8 का संयुक्त ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः नियमानुसार संयुक्तिकरण की राशी जमा की जानी होगी। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 8. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
4.	04	<p>राजस्व ग्राम डिगाड़ी के खसरा संख्या 181/8 के 13 बिस्वा 18 बिस्वांशी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (एकल भूखण्ड) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- मैसर्स एसेन्स बिल्डटेक प्रा.लि जरिये अश्विनी सांवल (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन की चैक लिस्ट अनुसार प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। 2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान, 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ है, आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में आवासीय गतिविधिया अनुज्ञेय है। 3. प्रकरण में आवेदित भूमि खसरा संख्या 181/8 हेतु आवेदक व अन्य पत्रावली खसरा संख्या 181/7 दोनों के आवेदक एक ही फर्म है साथ ही पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी अनुसार मूल खसरा संख्या 181 के छोटे-छोटे टुकड़े किये गये हैं, जो कि नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि तक 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी। 2. प्रकरण में विन्दु संख्या-3 के कम में खसरा संख्या 181/7 व खसरा संख्या 181/8 का संयुक्त ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः नियमानुसार संयुक्तिकरण की राशी जमा की जानी होगी।

			<ol style="list-style-type: none"> 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आउट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 8. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
5.	05	<p>राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 62/2 के रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ (मुख्यमंत्री जन आवास-2015 के प्रावधान 3 बी के अन्तर्गत) ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत । आवेदक :- श्रीमती घेवर कंवर पत्नि श्री रामसिंह चौहान (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जोन की चैक लिस्ट अनुसार प्रस्तुत ले-आउट प्लान का परीक्षण कर लिया गया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पूर्व में आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन पेश किया गया था तथा दिनांक 20.04.2015 को आयोजित बैठक में प्रकरण निर्णयार्थ रखा गया था। उक्त बैठक में निर्णय लिया गया था कि आवेदित भूमि को पास ही स्थित अनुमोदित आवासीय कॉलोनियों में से उक्त भूमि को 30 फीट चौड़ी सड़क से एप्रोच उपलब्ध होती है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आवासीय कॉलोनी हेतु न्यूनतम 40 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग आवश्यक है, अतः प्रकरण निरस्त किया गया था। 2. तत्पश्चात् दिनांक 06.09.2017 को प्रार्थी द्वारा पुनः प्रार्थना आवेदन पत्र शपथ पत्र व क्षतिपूर्ति बंध-पत्र की प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त भूमि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3-बी के तहत नियमन करने हेतु निवेदन किया गया है तथा जिसका भौतिक सत्यापन सम्बन्धित तहसीलदार व पटवारी द्वारा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रकरणों हेतु न्यूनतम एप्रोच सड़क 30 फीट निर्धारित की गई है। 3. आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग जोन कि चैक लिस्ट अनुसार 30 फीट उपलब्ध हो रहा है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्राविजन-3बी के अन्तर्गत न्यूनतम पहुँच आवश्यक है। 4. प्रकरण के साथ संलग्न ले आउट प्लान के पश्चिम दिशा में दर्शाई गई 30 फीट सड़क सुपरईम्पोजिशन से बाहर हो जाने से प्रार्थी द्वारा उक्त सड़क को स्वयं की भूमि में दर्शाते हुये संशोधित मानचित्र लिया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि तक 30 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी। 2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 04 व अन्य तकनिकी मानदण्डों की पूर्ति हेतु संशोधित मानचित्र लिया जावे।

			<ol style="list-style-type: none"> 3. उक्त ले-आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने पर पुन समिति से अनुमोदन करवाया जाना होगा। 4. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के मॉडल संख्या 3 बी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः नियमानुसार 05 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र व 05 प्रतिशत पार्क रखा जावे। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा डीपीआर जोन/अभियांत्रिकी शाखा में प्रस्तुत की जावे। 6. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 7. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। 10. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।
6.	06	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 15 रकबा 15 बीघा में से 3 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा संख्या 21 में रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, कुल रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय (मु.जन आवास-2015 के तहत) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत ।</p> <p>आवेदक :- श्री संतोषराम पुत्र श्री गोपाराम (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि को पहुच मार्ग जोन की चैक लिस्ट अनुसार खसरा संख्या 15/3 व 21 की जोविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना से 40' फीट प्राप्त हो रहा है। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि तक न्यूनतम पहुच मार्ग 30 फीट आवश्यक है तथा मास्टर प्लान अनुसार आवासीय भू-उपयोग में आवासीय गतिविधीया अनुज्ञेय है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि तक 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जानी होगी। 2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.11.2016 के अनुसार 2 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना होगा तथा 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किया जाना अथवा नियमानुसार राशि ली जानी होगी। 3. उक्त ले-आउट प्लान मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। अतः भविष्य में किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में लिए जाने पर पुन समिति से अनुमोदन करवाया जाना होगा। 4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंबित है। इस बाबत जोन स्तर से शपथ पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. अनुमोदित किये जा रहे ले-आऊट प्लान के अनुसार मौके पर डिमारकेशन किये जाने के उपरान्त भूखण्ड का पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जावे ताकि ले-आऊट प्लान व मौका स्थिति में भिन्नता नहीं रहे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम, 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति,

			<p>एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेवारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।</p> <p>8. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा डीपीआर जोन/अभियांत्रिकी शाखा में प्रस्तुत की जावे।</p> <p>9. आयोजना शाखा ले-आउट प्लान अनुसार मानचित्र आयुक्त महोदय से अनुमोदित करवाकर जारी करे।</p>
7.	07	<p>राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 66 व 73 रकबा 6 एकड भूमि का आवासीय(मु. जन आवास योजना-2015 के प्राक्धान 4ए के तहत) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- जो0वि0प्रा जोधपुर (जोन पूर्व)</p>	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि खसरा संख्या 66 व 73 किस्म गोचर राजस्व ग्राम खारडा रणधीर में स्थित है। उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। 2. आवेदित भूमि जोधपुर से खारडा रणधीर जाने वाली सडक पर स्थित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार 120 की श्रेणी में आरक्षित है। 3. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार भण्डारण एवं गौदाम प्रयोजनार्थ आरक्षित है। 4. आवेदित भूमि जोजरी नदी के सहारे स्थित है। अतः मास्टर प्लान के प्राक्धानानुसार जोजरी नदी के उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जानी है। 5. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार का निर्धारण समिति द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। <p>समिति द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों के अधीन ले-आउट अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि जोधपुर से खारडा रणधीर जाने वाली सडक पर स्थित है। उक्त सडक का मार्गाधिकार जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार 120 फीट तथा पूर्व दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। 2. आवेदित भूमि का भू-उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार भण्डारण एवं गौदाम प्रयोजनार्थ आरक्षित है। अतः नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आगामी प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी में निर्णयार्थ रखा जाना होगा। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत विकासकर्ता द्वारा डीपीआर जोन/अभियांत्रिकी शाखा में प्रस्तुत की जावे।



 (पी.आर.बेनीवाल)
 निदेशक (आयोजना),
 एवं सदस्य सचिव,

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./ बीपीसी(एलपी)/का.वि./2018/ 3858-3864

दिनांक:- 23.02.2018


प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।


 निदेशक (आयोजना),

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2018 वीं बैठक दिनांक 15.02.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | संयोजक |
| 3. श्री अरुण पुरोहित, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एलपी)